न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– आर0 के0 जायसवाल, आई.ए.एस. कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रैट

मुकदमा नम्बर :– 54/2019 (आर.सी.एम.एस.नम्बर 2019/00094)

उनवान प्रकरण :–

राजस्थान सरकार जरिये थानाधिकारी थाना कौलारी जिला धौलपुर ---- प्रार्थी।

बनाम

1. वालेस्टर सिंह सिकरवार उर्फ बालटरसिंह पुत्र रामेश्वरसिंह सिकरवार जाति ठाकुर उम्र 60 साल निवासी बावरीपुरा थाना सिहोनिया जिला मुरैना म0प्र0
2. सौरव अग्रवाल पुत्र दिनेश अग्रवाल जाति वैश्य उम्र 21 साल निवासी खडियाहार थाना सिहोनिया जिला मुरैना म0प्र0 ---------- अप्रार्थीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थिति : –

1. प्रार्थी की ओर से :– दिव्या कमठान, सहायक लोक अभियोजक (प्रथम)
2. अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से :– श्री भगवती प्रसाद बंसल अभिभाषक।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राज0)

निर्णय दिनांक :–28.01.2021

निर्णय

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया था कि दिनांक 24.06.2019 को थानाधिकारी थाना सैपऊ श्री रामकेश मीणा एसआई, वृताधिकारी वासुदेवसिंह आरपीएस सीओ सैपऊ मय बोरेरो सरकारी चालक विजयसिंह हैड कानि 223 मय जप्तशुदा सात ड्रम प्लास्टिक के व तीन कैन प्लास्टिक जिनमें डीजल जैसा तरल पदार्थ भरा हुआ है व प्रत्येक ड्रम व कैन से लिये गये एक–एक नमूना सैम्पल व एक कंट्रोल सैम्पल कुल 30 आर्टीकल व एक पिकअप गाडी नम्बरी एमपी 06 जी ए 2206 व मय गैरसायलान सौरव अग्रवाल एवं वालेस्टरसिंह सिकरवार के वापस थाना आया दर्ज रहे कि पूर्व फिगरा का रवानाशुदा मन थानाधिकारी सैपऊ ने समय 8.12 पीएम पर वृताधिकारी वासुदेवसिंह आरपीएस को जरिये टेलीफोन सूचित किया कि एक पिकअप गाडी जिसमें सात ड्रम व तीन कैन प्लास्टिक के जिनमें डीजल जैसा तरल पदार्थ भरा हुआ है जिसे मन थानाधिकारी द्वारा मुखबिर की सूचना पर गांव सालेपुर के पास मोड पर पहूंच कर नाकाबंदी कर पकडा है की कार्यवाही हेतु मौके पर उपस्थित आवें जिस पर वृताधिकारी मय अनुसंधान बाक्स व कांच की बोतलों के मय बोलेरो सरकारी चालक के समय करीव 8.35 पीएम पर सालेपुर मोड पर पहूँचे जहां

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

पर थानाधिकारी सैपऊ मय जाप्ता द्वारा एक पिकअप गाडी नम्बरी एमपी 06 जी ए 2206 को रोके हुये था जिसमें सात ड्रम प्लास्टिक के व तीन कैन प्लास्टिक के जिनमें तरल पदार्थ भरा हुआ है ड्रमों व कैनों को वृताधिकारी द्वारा सूघं कर चैक किया गया तो ड्रमों व कैनों में भरे हुये तरल पदार्थ में से डीजल जैसी बू आ रही है उक्त ड्रम व कैनों में भरा हुआ तरल पदार्थ डीजल जैसा प्रतीत होता है। पिकअप गाडी में दो व्यक्ति बैठे हुये थे जिनसे नाम पता पूंछा तो एक ने अपना नाम सौरभ अग्रवाल पुत्र दिनेश अग्रावाल जाति वैश्य उम्र 21 साल निवासी खडिहार थाना सौनिया जिला मुरैना का होना बताया तथा अपने आपको पिकअप गाडी का चालक होना बताया व दूसरे शक्स ने अपना नाम वालिस्टर सिंक सिकरवार पुत्र श्री रामेश्वरसिंह सिकरवार जाति ठाकुर उम्र 60 साल निवासी बावरीपुरा थाना सौनिया जिला मुरैना एमपी का होना बताया जिनसे डीजल के बारे में पूछा तो सरैधीं चौराहे से आगे उ0प्र0 में मेवला गांव के पास से चपरई ईस्टेट हिन्दुस्तान पैट्रोलियम फयूल्स पम्प से खरीदना बताया तथा डीजल खरीद की रसीद पेश की जिसको चैक किया तो 1729 लीटर की होना पाया क्योंकि उ0प्र0 में डीजल करीव 4–5 रू0 सस्ता मिलता है और एमपी में ले जाकर ऊँची रेट पर बेच कर मुनाफा कमाने की बात बताई है। उक्त दोनो शक्सों से डीजर को खरीद कर उ0प्र0 से म0प्र0 प्लास्टिक के ड्रमों व कैनों में भर कर ले जाने का लाईसेंस मांगा तो अपने पास कोई लाईसेंस नहीं होना बताया। इस प्रकार उपरोक्त दोनों व्यक्तियों का उ0प्र0 की सीमा में स्थित चपरई ईस्टेट हिन्दुस्तान पैट्रोलियम फयूल्स पम्प से कम दरों में (65.33)रू0 प्रति लीटर की दर से खरीद कर एमपी में ऊँची दर (करीब 70 रू0) पर लीटर बेचने के उद्वेश्य से बिना परिवहर परमिट व ज्वलनशील पदार्थ डीजल कुल 1729 लीटर को बिना पूर्ण सुरक्षा ईतजाम के लेकर जाना जुर्म धारा 3/7 ई सी एक्ट (आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955) की परधी में आना पाया जाता है। अतः मौके पर ही पिकअप गाडी नम्बर एमपी 06 जी ए 2206 में रखे सात ड्रम प्लास्टिक के जिनमें करीव 1650 ली0 व तीन कैन प्लास्टिक के जिनमें करीव 80 लीटर डीजल जैसा तरल पदार्थ कुल 1730 लीटर के भरा हुआ है। सात ड्रम व तीन कैन को बतौर माल वजह सबूत शील्ड मौहर कर क्रमशः मार्क ए से लेकर जे तक अंकित किया जाकर बरूये फर्द जप्ती जप्त किया गया तथा परिवहन में प्रयुक्त वाहन पिकअप गाडी नम्बरी एमपी 06 जी ए 2206 को मौके पर ही वजस सवूत जप्त किया जाकर कब्जा पुलिस लिया गया। इस प्रकार समस्त तकमील तफतीश एव समस्त साक्ष्य संकलन से अप्रार्थीगण के विरूद्व धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 व 3, 15 राजस्थान पैट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन एवं नियन्त्रण) आदेश 1990 का अपराध बखूवी शाबित पाया गया है। अतः प्रकरण में 1730 लीटर डीजल जप्त किया गया जो थाना सैपऊ पर रखा हुआ है जो कि ज्वलनशील है जिसके थाना परिसर में खुर्द बुर्द होने की आशंका है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जप्त शुदा डीजल मय वारदाना के निस्तारण किये जाने के आदेश दिये जावे ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस इस आशय का जारी किया गया कि उन्हें इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो असालतन व वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें।

अप्रार्थीगण की ओर से श्री भगवती प्रसाद बंसल ने अपना वकालतनामा पेश कर नोटिस का जबाव प्रस्तुत किया। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थीगण कोई

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

पेट्रोलियम पदार्थ को बिक्रय करने का कारोवार नहीं करते है। अप्रार्थीगण के विरूद्व अभी तक सक्षम न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत नहीं हुई है और जब तक अप्रार्थीगण को सक्षम न्यायालय से दोष सिद्व नहीं किया जाता तब तक किसी भी सम्पत्ति को राजसात नहीं किया जा सकता है। अतः अप्रार्थीगण को दिये गये नोटिस की कार्यवाही निरस्त फरमावे।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में थानाधिकारी द्वारा एफ आई आर दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र की प्रति, फर्द जब्ती की प्रमाणित प्रतियां पेश की है।

अप्रार्थीगण ने अपने जबाब के समर्थन में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य सवूत पेश नहीं किये है।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक सहायक लोक अभियोजक प्रथम ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि जब्त शुदा डीजल के वारे में अप्रार्थीगण से पूछताछ की तो अप्रार्थीगण ने सरैधीं चौराहे से आगे उ0प्र0 में मेवला गांव के पास से चपरई ईस्टेट हिन्दुस्तान पैट्रोलियम फयूल्स पम्प से डीजल खरीदना बताया तथा डीजल खरीद की रसीद पेश की जिसको चैक किया तो 1729 लीटर की होना पाया क्योंकि उ0प्र0 में डीजल करीव 4–5 रू0 सस्ता मिलता है और एमपी में ले जाकर ऊँची रेट पर बेच कर मुनाफा कमाने की बात बताई है। उक्त दोनो शक्सों से डीजल को खरीद कर उ0प्र0 से म0प्र0 प्लास्टिक के ड्रमों व कैनों में भर कर ले जाने का लाईसेंस मांगा तो अपने पास कोई लाईसेंस नहीं होना बताया। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा उ0प्र0 की सीमा में स्थित चपरई ईस्टेट हिन्दुस्तान पैट्रोलियम फयूल्स पम्प से कम दरों में (65.33)रू0 प्रति लीटर की दर से खरीद कर एमपी में ऊँची दर (करीब 70 रू0) पर लीटर बेचने के उद्वेश्य से बिना परिवहन परमिट व ज्वलनशील पदार्थ डीजल कुल 1729 लीटर को बिना पूर्ण सुरक्षा ईतजाम के लेकर जाना जुर्म धारा 3/7 ई सी एक्ट (आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955) की परधी में आना पाया जाता है। अतः मौके पर ही पिकअप गाडी नम्बर एमपी 06 जी ए 2206 में रखे सात ड्रम प्लास्टिक के जिनमें करीव 1650 ली0 व तीन कैन प्लास्टिक के जिनमें करीव 80 लीटर डीजल जैसा तरल पदार्थ कुल 1730 लीटर के भरा हुआ है। सात ड्रम व तीन कैन को बतौर माल वजह सबूत शील्ड मौहर कर कमशः मार्क ए से लेकर जे तक अंकित किया जाकर बरूये फर्द जप्ती जप्त किया गया तथा परिवहन में प्रयुक्त वाहन पिकअप गाडी नम्बरी एमपी 06 जी ए 2206 को मौके पर ही वजस सवूत जप्त किया जाकर कब्जा पुलिस लिया गया। इस प्रकार समस्त तकमील तफतीश एव समस्त साक्ष्य संकलन से अप्रार्थीगण के विरूद्व धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 व 3, 15 राजस्थान पैट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन एवं नियन्त्रण) आदेश 1990 का अपराध बखूवी शाबित पाया गया है। अतः प्रकरण में 1730 लीटर डीजल जप्त किया गया जो थाना सैपऊ पर रखा हुआ है जो कि ज्वलनशील है जिसके थाना परिसर में खुर्द बुर्द होने की आशंका है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जप्त शुदा डीजल मय वारदाना के निस्तारण किये जाने के आदेश दिये जावे ।

अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान नोटिस के जबाव में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण कोई पेट्रोलियम पदार्थ को बिक्रय करने का कारोवार नहीं करते है। अप्रार्थीगण के विरूद्व अभी तक सक्षम न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत नहीं हुई है और जब तक अप्रार्थीगण को सक्षम न्यायालय से दोष सिद्व

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

नहीं किया जाता तब तक किसी भी जब्तशुदा माल को राजसात नहीं किया जा सकता। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे ।

दोनो पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि दिनांक 24.06.2019 को थानाधिकारी थाना सैपऊ मय जाप्ता द्वारा अप्रार्थीगण को एक पिकअप गाडी नम्बरी एमपी 06 जी ए 2206 जिसमें सात ड्रम प्लास्टिक के व तीन कैन प्लास्टिक जिनमें 1729 लीटर डीजल को ले जाते हुये जब्त किया गया है। जब्त शुदा डीजल के वारे में अप्रार्थीगण से पूछताछ की तो अप्रार्थीगण ने सरैधीं चौराहे से आगे उ0प्र0 में मेवला गांव के पास से चपरई ईस्टेट हिन्दुस्तान पैट्रोलियम फयूल्स पम्प से डीजल खरीदना बताया तथा डीजल खरीद की रसीद पेश की जिसको चैक किया तो 1729 लीटर की होना पाया क्योंकि उ0प्र0 में डीजल करीव 4–5 रू0 सस्ता मिलता है और एमपी में ले जाकर ऊँची रेट पर बेच कर मुनाफा कमाने की बात बताई है। अप्रार्थीगण से डीजल को खरीद कर उ0प्र0 से म0प्र0 प्लास्टिक के ड्रमों व कैनों में भर कर ले जाने का लाईसेंस मांगा तो अपने पास कोई लाईसेंस नहीं होना बताया। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा उ0प्र0 की सीमा में स्थित चपरई ईस्टेट हिन्दुस्तान पैट्रोलियम फयूल्स पम्प से कम दरों में (65.33)रू0 प्रति लीटर की दर से खरीद कर एमपी में ऊँची दर (करीब 70 रू0) पर लीटर बेचने के उद्वेश्य से बिना परिवहन परमिट व ज्वलनशील पदार्थ डीजल कुल 1729 लीटर को बिना पूर्ण सुरक्षा ईतजाम के लेकर जाना जुर्म धारा 3/7 ई सी एक्ट (आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955) की परधी में आना पाया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा राजस्थान पैट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन एवं नियन्त्रण) आदेश 1990 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है ।

प्रकरण में जब्तशुदा डीजल 1730 लीटर, मय सात प्लास्टिक ड्रम व तीन प्लास्टिक कैन को राजसात किए जाने के आदेश दिए जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जब्तशुदा डीजल 1730 लीटर, मय सात प्लास्टिक ड्रम व तीन प्लास्टिक कैन को राजसात किए जाने के आदेश दिये जाते है । जिला रसद अधिकारी धौलपुर को निर्देश दिये जाते है, कि जब्तशुदा डीजल 1730 लीटर को मय वारदाना, थानाधिकारी थाना कौलारी से प्राप्त कर जब्तशुदा डीजल को मय वारदाने के प्रचलित बाजार दर पर बिक्रय कराकर राशि राज कोष में जमा कराई जावे । निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी धौलपुर एवं थानाधिकारी थाना कौलारी को वास्ते पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जाये।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर